

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प. 21 (2) सा.प्र./ग्रुप-4/2021

जयपुर, दिनांक 03/03/22

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या 6/2021-22

विषय : गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय चतुर्थ श्रेणी आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्यों हेतु राशि रुपये 4.45 लाख (अक्षरे रुपये चार लाख पैंतालीस हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. सं.	आवासी का नाम व आवास सं.	आवास के लिए ब्लॉक वर्ष	प्रस्तावित कार्य का विवरण		कुल राशि
			कार्य	राशि	
1	श्री जितेन्द्र सिंह, एफ-72, गांधीनगर, जयपुर	2021-22 2022-23 2023-24	new bathroom renovation	0.70	2.13
			new room	0.94	
			electric work	0.20	
			Total A	1.84	
			Cont. 2.5%	0.05	
			Total B	1.89	
			Prorata 13%	0.25	
2	श्री रविकान्त गोयल, एफ-85, गांधीनगर	2021-22 2022-23 2023-24	stone slab roofing	0.29	2.32
			toilet renovation	0.50	
			door and window	0.10	
			boundary wall and misc work	0.50	
			tile work	0.61	
			Total A	2.00	
			Cont. 2.5%	0.05	
Total B	2.05				
Prorata 13%	0.27				
Grand Total				4.45	

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन, 700-अन्य आवास (11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवास [90]- निर्माण कार्य-स्कीम 16-लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा ।

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.10.2021 के बिन्दु संख्या 7 में अंकित है कि दिनांक 01.04.2021 से 15.09.2021 तक ऑफलाईन जारी एएफएस ही सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने तथा नॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर बिलों का भुगतान किया जाना अनुमत किया गया है। दिनांक 16.09.2021 से भविष्य में शिथिलन दिया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को दिनांक 16.09.2021 से ऑनलाईन ही प्राप्त किया जाना है। ऑनलाईन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आपके कार्यालय को इस विभाग द्वारा लिखा जा चुका है।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर
7. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-III, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर ।
9. संबंधित आवासी ।
10. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव (क)